न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 148 / 2014 **दायर दिनांक 05.08.2014**

–: अनवान :–

1. लखवीरसिंह
2. कश्मीरसिंह

} पुत्रगण कालासिंह पुत्र महताबसिह पुत्र जुम्मासिंह जाति रायसिख निवासी चक 5 एसएचपीडी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

....प्रार्थीगण

बनाम

1. कालासिंह पुत्र महताबसिंह पुत्र जुम्मासिंह जाति रायसिख निवासी चक 5 एसएचपीडी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. नंदसिंह पुत्र महताबसिंह पुत्र जुम्मासिंह जाति रायसिख निवासी चक 5 एसएचपीडी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. बलवन्तसिंह पुत्र महताबसिंह पुत्र जुम्मासिंह जाति रायसिख निवासी तुतांवाली तहसील फाजिल्का हाल निवासी चिरागेवाली ढ़ाणी तहसील व जिला फाजिल्का पंजाब।
4. रूपसिंह पुत्र महताबसिंह पुत्र जुम्मासिंह जाति रायसिख निवासी तुंतावाली हाल निवासी चक 20 डीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
5. असरा बाई पुत्री महताबसिंह पुत्र रामसिंह पत्नी रामसिंह जाति रायसिख निवासी मकान संख्या 33 सीड फार्म पका अबोहर जिला फिरोजपुर पंजाब।
6. माया पुत्री महताबसिंह पुत्र रामसिंह पत्नी दलीपसिंह जाति रायसिख निवासी सलेमपुरा नजदीक आबादी चक 7 एलपीएम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
7. पाशोबाई पुत्री महताबसिंह पुत्र रामसिंह पत्नी मंहगाराम जाति रायसिख निवासी कालूवाला 25 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
8. छिलोबाई पुत्री महताबसिंह पुत्र रामसिंह पत्नी बंलवन्तसिंह जाति रायसिख निवासी चक 23 बीडी' बी' तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर राजस्थान मृतक जरिये वारिस :–
   8 / 1. बलवन्तसिंह पुत्र साहबसिंह पति छिलोबाई जाति रायसिख निवासी चक 23 बीडी 'बी' तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
   8 / 2. सुरजीत सिंह
   8 / 3. जलजीतसिंह
   8 / 4. बलजिन्द्रसिंह
   8 / 5. छिन्द्रकौर
   } पुत्रगण व पुत्री छिलोबाई पत्नी बलवन्तसिंह जाति रायसिख निवासी चक 23 बीडी 'बी' तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर राज.।
9. परविन्द्रकौर पत्नी गुरदाससिंह पुत्रवधु गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 एलएलपी(16 एसटीबी) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।
11. उप–पंजीयक सूरतगढ़।
12. शाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे एडीबी शाखा नई धान मण्डी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
13. शाखा प्रबन्धक आई सी आई सी आई बैंक शाखा सूरतगढ़।

.......अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(प्रकरण संख्याः– 148/2014)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री अमित सैनी, अधिवक्ता अप्रार्थी न. 1
3. श्री जसवीर बराड़, अधिवक्ता अप्रार्थी न. 2
4. श्री भगवानदत्त शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी न. 9
5. श्री विनोद शर्मा, मनीष कुमार, अप्रार्थी न. 13
6. पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

– :: निर्णय ::–

दिनांकः– 02.02.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के दादा महताबसिंह पुत्र जुमासिह जाति रायसिख को चक 5 एसएचपीडी 'ए' का पत्थर नम्बर 76/338 का किला नम्बर 1 ता 25 का 25 बीघा 6.325 हैक्टेयर रकबा आरजी काश्त पर आंवटन हुआ था जो बाद में पुख्ता आवंटन किया गया। प्रार्थीगण के दादा स्व. महताबसिंह द्वारा अपने को पुख्ता आवंटित रकबा 25.00 बीघा की एक किता वसीयत दिनांक 21.08.2003 को करवाई गई जिसमे पत्थर नम्बर 76/338 के किला नम्बर 1 में 0.10 बीघा, 2–3 का 2.00 बीघा, 9 का 1.00 बीघा, 10 का 0.10 बीघा, 11 का 0.10 बीघा, 13 ता 20 का 8.00 बीघा कुल 12.10 बीघा कमाण्ड प्रतिवादी न. 2 अपने पुत्र नंदसिंह को व इसी पत्थर नम्बर के किला नम्बर 1 में 0.10 बीघा, 10 में 0.10 बीघा, 11 का 0.10 बीघा, 12 में 1.00 बीघा, 21 ता 25 का 5.00 बीघा व 4 ता 8 का 5.00 बीघा कुल 12.10 बीघा कमाण्ड प्रार्थीगण 1 व 2 के पक्ष में रोबरू गवाहान अपनी स्वेच्छा से लिखवाकर उसी दिन तस्दीक करवा दी थी व मौके पर काश्त करने के लिए रकबा का कब्जा सम्भलवा दिया गया था। प्रार्थीगण के दादा का स्वर्गवास दिनांक 08.10.2009 को हो जाने पर प्रार्थीगण ने वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में रकबा दर्ज करने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार साहब सूरतगढ़ को दिया जिस पर अखबार में सार्वजनिक सूचना जारी कर व नोटिस जारी कर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का पूरा पूरा अवसर देते हुए व सम्बन्धित हल्का पटवारी से रिपोर्ट लेकर सभी पक्षो को सुनकर दिनांक 13.07.2010 को आदेश दिया गया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी न. 2 नंदसिह के पक्ष में की गई वसीयत के अनुसार महताबसिंह के स्थान पर प्रार्थीगण व नंदसिंह के नाम इन्तकाल दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार साहब सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 13.07.2010 की पालना में दिनांक 12.10.2010 को इन्तकाल न. 108 तस्दीक करके 12.10 बीघा रकबा वसीयत अनुसार प्रार्थीगण के नाम व 12.10 बीघा अप्रार्थी न. 2 नंदसिंह के नाम दर्ज कर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकन कर दिया गया। पैरा संख्या 5 में वर्णित तहसीलदार साहब सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 13.07.2010 की अपील श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ की अदालत में करने पर उनके द्वारा अपील न. 169/2012 दर्ज कर अपने आदेश दिनांक 13.07.2010 को व उसकी पालना में दर्ज इन्तकाल संख्या 108 दिनांक 12.10.2010 को निरस्त कर दिया गया व अलोटी खातेदार महताबसिंह पुत्र जुम्मासिंह रायसिख के सभी जायज वारिसो के नाम उनके नाम की भूमि का इन्तकाल दर्ज किया जावे का आदेश दिया। उक्त आदेश दिनांक 27.05.2013 की पालना करते हुए तहसीलदार साहब सूरतगढ़ द्वारा जैरवाद 25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(प्रकरण संख्याः— 148 / 2014)

बीघा रकबा मय रास्ता खाला दिनांक 04.06.2013 को जरिये इन्तकाल संख्या 147 के रकबा वापिस मूल खातेदार व वसीयतकर्ता महताबसिंह पुत्र जुम्मासिह के नाम दर्ज कर दिया गया। प्रकरण में अप्रार्थी न. 2 नंदसिंह ने एक कूटरचित फर्जी वारिसनामा तैयार करवाया व यह वारिसनामा पंजाब के तुतावाली गांव में रहने वाले महताबसिंह पुत्र रामसिंह जाति रायसिख के बच्चो का नाम देकर असली अलोटी खातेदार महताबसिंह पुत्र जुम्मासिंह रायसिख के सभी को जायज वारिस बनाते हुए जैरप्रकरण भूमि का इन्तकाल का हकदार अप्रार्थी न. 1 व 2, अप्रार्थी न. 3 व अप्रार्थी न. 4 रूपसिंह व अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 8 कुल आठ वारिस मृतक महताबसिंह पुत्र जुम्मासिंह को मानते हुए इन्ही को फर्जी वारिस प्रमाण पत्र पंचायत चक 8 एसएचपीडी दिनांक 15.01.2013 के आधार पर प्रत्येक को 1/8–1/8 हिस्से का हकदार मानते हुए इन्तकाल संख्या 149 दिनांक 07.06.2013 को तस्दीक कर दिया गया। इन्तकाल न. 149 दिनांक 07.06.2013 के तस्दीक होने के पूर्व ही अप्रार्थी न. 2 ने अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 8 से 1/8–1/8,1/8 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 8 के स्वर्गवास हो जाने के कारण उसके जायज वारिसो अप्रार्थी संख्या 8/1 ता 8/5 से 1/8 हिस्सा की अलग अलग चार दस्तरबदारीयां दिनांक 05.06.2013 को अपने नाम करवा कर उप–पंजीयक सूरतगढ़ से तस्दीक करवा ली। जैरप्रकरण कुल भूमि में से 5/8 हिस्सा अकेले अप्रार्थी संख्या 2 नंदसिंह के नाम दर्ज होने पर उस कुल रकबा 3.875 हैक्टेयर में से 1.518 हैक्टेयर रकबा अप्रार्थी न. 2 नंदसिंह द्वारा दिनांक 10.06.2013 को अप्रार्थी न. 9 परविन्द्रकौर को बेचान कर दिया गया परन्तु कब्जा काश्त प्रार्थीगण के पास आज भी बदस्तूर चला आ रहा है। बैयनामा दिनांक 10.06.2013 के आधार पर खरीददार अप्रार्थीया का जैरप्रकरण भूमि पर न तो पहले कब्जा था व न ही आज कब्जा काश्त है। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा आदेश श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ दिनांक 27.05.2013 के विरूद्ध एक अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर संभाग बीकानेर के करने पर उनके द्वारा अपील संख्या 24/13 में दिनांक 13.06.2013 को स्थगन आदेश जारी कर दिया गया कि अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ़ की अदालत से निर्णीत अपील न. 169/2012 दिनांक 27.05.2013 से सम्बन्धित भूमि को अन्य आदेश तक रहन बैय अथवा हस्तान्तरण नहीं किया जाकर राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया था। जैरप्रकरण भूमि में मुख्य विवादित दो बिन्दू है, प्रथम मूल खातेदार महताबसिंह पुत्र जुम्मासिंह के कितने वारिस है व द्वितीय अप्रार्थी न. 2 नंदसिंह द्वारा जारी करवाया गया वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत 8 एसएचपीडी के सरपंच द्वारा दिनांक 15.01.2013 मान्य नही है। सरपंच को किसी मृतक के वारिसो का प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नही है। किसी मृतक के वारिस प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार एक मात्र सीविल अदालत को है इसलिए ग्राम पंचायत 8 एसएचपीडी के सरंपच उर्मीला गोदारा द्वारा दिनांक 15.01.2013 को जारी वारिस प्रमाण पत्र कानूनन कोई महत्व नही रखता है व तहसीलदार भू. अ. सूरतगढ़ द्वारा इस तथाकथित जारी वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर जो विरासतन व दस्तबरदारी का इन्तकाल संख्या 149 दिनांक 07.06.2013 तस्दीक किया गया है, वह प्रार्थीगण के हको तक निष्प्रभावी है व इस इन्तकाल से पूर्व की स्थिति में जैरप्रकरण रकबा मूल खातेदार प्रार्थीगण के दादा महताबसिंह पुत्र जुम्मासिह के नाम से दर्ज रहेगा व उस स्थिति में प्रार्थीगण जैरप्रकरण भूमि में मूल खातेदार महताबसिंह द्वारा अपनी स्वेच्छा व रजामंदी से सोच समझ कर करवाई गई वसीयत दिनांक 21.08.2003 के अनुसार 12.10 बीघा भूमि के खातेदार काश्तकार उन्ही बीघो के घोषित करवाने के हकदार है जो

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

(प्रकरण संख्या:— 148/2014)

वसीयत में दिये गये है। अप्रार्थी न. 5 ता 8 स्वं. महताबसिह पुत्र जुम्मासिह जाति रायसिख की पुत्रीया न होकर गांव तुतांवाली पंजाब के महताब सिंह पुत्र रामसिंह जाति रायसिख निवासी तुतावाली के रहने वाले है, इनके दादा का नाम अलग है जबकि प्रार्थीगण के दादा के पिता का नाम अलग है। इनकी माता का नाम अलग है जबकि प्रार्थीगण की दादी का नाम अलग है। अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 8 जब तक सीविल अदालत में महताबसिह पुत्र जुम्मासिह के जायज वारिस (पुत्रीयां) अपने आप को घोषित नही करवा लेते तब तक जैरप्रकरण भूमि में उनका किसी प्रकार से कोई हिस्सा व हक नही बनता है व दर्ज करवाये गये इन्तकाल शुरू से ही शून्य व अवैध होने से प्रार्थीगण के हको तक निष्प्रभावी है। अप्रार्थी न. 2 नंदसिंह द्वारा जारी करवाये गये वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत 8 एसएचपीडी दिनांक 15.01.2013 को आधार मानकर जैरप्रकरण भूमि में कुल 8 वारिस मानते हुए अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 7 का 3/8 हिस्सा व अप्रार्थीगण संख्या 8/1 ता 8/5 से जो 1/8 हिस्सा की अलग चारो से 1/8 –1/8 हिस्सा की दस्तबरदारीयां (चार) दिनांक 05.06.2013 को करवा कर कुल रकबा में 5/8 हिस्सा का जो इन्तकाल संख्या 149 दिनांक 07.06.2013 जैरप्रकरण भूमि का तस्दीक करवाया गया है वह गलत व गैरकानूनी वारिस प्रमाण पत्र पर आधारित होने से शूरू से ही शून्य व प्रभावहीन होने से इस इन्तकाल संख्या 149 दिनांक 07.06.2013 के आधार पर कोई हक कानूनी रूप से प्राप्त नही होता है व यह इन्तकाल शुरू से ही शून्य होने से मुताबिक वसीयत प्रार्थीगण के हितो पर निष्प्रभावी है व प्रार्थीगण जैरप्रकरण कुल भूमि 6.200 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा के ब.हि.ब. के हकदार है व इसे ही अदालत के माध्यम से अपने हिस्सा तक के खातेदार काश्तकार घोषित करवाना चाहते है व इसी अनुसार डिक्री प्राप्त करना चाहते है जिसे जारी करवाने के प्रार्थीगण कानूनन हकदार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 15 में वर्णित अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 5 ता 7 व 8/1 ता 8/5 द्वारा अपने पक्ष मे 4/8 हिस्सा की तथाकथित गैरकानूनी दस्तबरदारी करवाने के बाद 1/8 हिस्सा अप्रार्थी स्वंय का मानते हुए जैरप्रकरण कुल भूमि में 5/8 हिस्सा अप्रार्थी न. 2 नंदसिंह के नाम दिनांक 07.06.2013 को दर्ज करवाते ही इस जैरप्रकरण भूमि में से 1.518 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीया न0. 9 परविन्द्रकौर को दिनांक 10.06.2013 को बेचान कर दिया गया। यह तथाकथित बैयनामा भी शुरू से ही शून्य है चूंकि अप्रार्थी न. 2 द्वारा जो तथाकथित दस्तबरदारीयां अप्रार्थीगण 5 ता 7 व 8/1 ता 8/5 से करवाई थी वो शूरू से ही शून्य व प्रभावहीन होने से उनके माध्यम से आया हुआ हिस्सा भी शूरू से ही गलत व गैरकानूनी होने से उसके आधार पर जैरप्रकरण भूमि का किया गया तथाकथित बैयनामा दिनांक 10.06.2013 बहक अप्रार्थीया न. 9 प्रार्थीगण के हको तक निष्प्रभावी है व इस तथाकथित बैयनामा से अप्रार्थीया न. 9 को कोई कानूनी हक प्राप्त नही होते है व जैरप्रकरण भूमि में 1/2 हिस्सा 12.10 बीघा भूमि का कब्जा काश्त मुताबिक वसीयत दिनांक 21.08.2003 आज भी प्रार्थीगण के पास चला आ रहा है व बिना कब्जा काश्त व बिना जायज वारिस प्रमाण पत्र के दर्ज इन्तकाल संख्या 149 प्रार्थीगण के हको तक निष्प्रभावी है व प्रार्थीगण मुताबिक वसीयत दिनांक 21.08.2003 के जैरवाद भूमि में 1/2 हिस्सा 12.10 बीघा भूमि के खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार डिक्री जारी की जावे। श्रीमान अति0सम्भागीय आयुक्त महोदय की अदालत में वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने के आदेश के विरूद्ध दूसरी अपील चल रही है। इन्तकाल एक फिसकल कार्यवाही है व इन्तकाल की कार्यवाही में किसी पक्षकार के हको की घोषणा नही की जा सकती। यह एक समरी ट्रायल है। मौजूदा दावा में कानूनी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(प्रकरण संख्या:— 148/2014)

बिन्दू समाहित है जैसे जायज वारिस कौन कौन है व वसीयत कानूनी सही है या नही , सरपंच को वारिस प्रमाण पत्र जारी करने का कानूनी अधिकार नहीं है, ये सब साक्ष्य के आधार पर उचित तनकी कायम कर वाद में ही निर्णीत हो सकते है। इस प्रकरण में दूसरा कानूनी बिन्दू यह है कि किसी कारणवश प्रार्थीगण के पक्ष मे जैरप्रकरण भूमि की 1/2 हिस्सा 12.10 बीघा भूमि की वसीयत के आधार पर कानूनी अड़चन के रहते हुए वाद डिक्री ना किया जावे तो अदालत को मूल खातेदार महताबसिंह पुत्र जुम्मासिंह के जायज वारिसो को जैरप्रकरण भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना है जो दावे के माध्यम से ही किया जा सकता है न कि इन्तकाल की अपील के माध्यम से। मूल खातेदार महताबसिंह पुत्र जुम्मासिंह के पुत्र कालासिंह अप्रार्थी न. 1 व नंदसिंह अप्रार्थी न. 2, बलवन्तसिंह अप्रार्थी न. 3 व रूपसिंह अप्रार्थी न. 4 ही थे। अगर जायज वारिसो के नाम से जैरप्रकरण भूमि के हकदार अदालत द्वारा घोषित किये जाते है तो भी अप्रार्थी न. 1 कालासिंह जो प्रार्थीगण का पिता है को 1/4 हिस्सा का व अप्रार्थी न. 1 ता 3 प्रत्येक को 1/4 — 1/4 — 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित कर डिक्री जारी की जावे व दिनांक 27.05.2013 से 10.06.2013 तक जैरप्रकरण भूमि में हुए परिवर्तन दस्तबरदारीयां, विरासतन इन्तकाल व बैयनामा शूरू से ही गैरकानूनी व प्रभाव शून्य है व वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत 8 एस. एच.पी.डी. दिनांक 15.01.2013 पर आधारित होने से प्रभाव शून्य है व प्रार्थीगण व महताबसिंह पुत्र जुम्मासिंह के चार पुत्रो अप्रार्थी न. 1 ता 4 के हको व अप्रार्थीगण के हको तक निष्प्रभावी हैं। प्रार्थीगण द्वारा जैरप्रकरण भूमि में अपना हिस्सा वसीयत के आधार पर घोषित करवाने बाबत वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं चूंकि जैरप्रकरण भूमि अप्रार्थीगण्ण के नाम से हैं इसलिए वे वाद पत्र के निर्णय से पूर्व ही जैरप्रकरण भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उतारू हैं। अप्रार्थी न. 2 ने तो 1.518 हैक्टेयर भूमि का बेचान भी अप्रार्थी न. 9 को कर दिया। अप्रार्थी न. 9 को कब्जा नहीं मिला हैं इसलिए वो भी आगे जैरप्रकरण भूमि का बेचान भूमाफिया लोगो को करने पर उतारू हैं तथा प्रार्थीगण को कब्जा काश्त से बेदखल करने पर उतारू है। इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी आवश्यक हैं कि अप्रार्थीगण जैरप्रकरण भूमि को रहन बैय आदि द्वारा हस्तान्तरण नहीं करे तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को जरिये रजि. नोटिस तलब किये गये तथा दिनाक 25.08.2014 को एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई आदेश जारी किया गया। अप्रार्थी सख्या 1 ता 3, 5 ता 9 जरिये अभिभाषक हाजिर आये परन्तु अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अप्रार्थी न. 13 द्वारा अपना हित सुरक्षित रखते प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अदालत द्वारा पूर्व में जारी दिनांक 25.08.2014 को वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई किया जावे। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

बहस पर मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया व विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजींरों व संबंधित कानून का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार जैरप्रकरण भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 महताबसिह पुत्र जुम्मासिंह की पुत्रीयां नहीं हैं। अप्रार्थी न. 2 नंदसिंह ने ग्राम पंचायत 8 एसएचपीडी के सरपंच द्वारा दिनांक 15.01.2013 जारी करवाये गये

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(प्रकरण संख्याः– 148/2014)

वारिसनामा में अप्रार्थी न. 5 ता 8 को महताबसिंह की पुत्रीयां के रूप में नाम जुड़वा लिया। सरपंच को वारिस प्रमाण पत्र जारी करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। पत्रावली में संलग्न महताबसिंह की मूल आवंटन पत्रावली की प्रति में प्रस्तुत आवेदन पत्र में भी अप्रार्थी न. 5 ता 8 का नाम महताबसिंह की पुत्रीयों के रूप में दर्ज नहीं हैं। अगर अप्रार्थी न. 5 ता 8 महताबसिंह की पुत्रीयां होती तो इनका नाम भी आवंटन पत्रावली में दर्ज होता। इसी प्रकार दूसरा एतराज की अप्रार्थी नंदसिंह ने अप्रार्थी न. 5 ता 8 से विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाने से पूर्व ही दस्तबरदारी करवाकर उनका हिस्सा अपने नाम से दर्ज करवा लिया। अगर अप्रार्थी न. 5 ता 8 वास्तव में महताबसिह की पुत्रीयां होती तो भी दस्तबरदारी किसी एक सहखातेदार के पक्ष में ना होकर सभी सहखातेदारो के पक्ष में ब.हि.ब. होती। इस प्रकार अप्रार्थी न. 2 के पक्ष में 4/8 हिस्सा भूमि जो दस्तबरदारी से दर्ज हुई हैं, उसका निर्णय मूल वाद पत्र में होना हैं। प्रार्थीगण के दादा महताबसिंह पुत्र जुम्मासिंह द्वारा जैरप्रकरण भूमि की दिनांक 21.08.2003 को प्रार्थीगण व अप्रार्थी न. 2 के पक्ष में करवायी वसीयत के आधार पर भी हको की घोषणा का निर्णय भी मूल वाद पत्र में साक्ष्य प्रस्तुत होने के बाद किया जा सकेगा। अप्रार्थी न. 1, 3 व 4 के नाम दर्ज हिस्सा का निर्णय भी मूल वाद पत्र में तय होना हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता हैं। मूल वाद के निर्णय से पूर्व अप्रार्थी न. 2 अपने नाम से अंकित ज्यादा हिस्सा को वाद पत्र के निर्णय से पूर्व खुर्द बुर्द कर देता हैं तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी। जैरप्रकरण भूमि को सुरक्षित रखना उचित प्रतीत होता हैं। इसलिए प्रकरण की प्रकृति व साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए व न्यायहित में प्रार्थना पत्र प्रार्थी का आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 25.08.2014 में संसोधन करते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं कि जैरप्रकरण भूमि चक 5 एस.एच.पी.डी.(ए) पटवार हल्का 6 एसएचपीडी तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी संवत 2067 ता 2070 के खाता संख्या 27/34 में पत्थर नम्बर 76/338 मु.न. 28 किला नम्बर 1/2 ता 25 = 6.200 हैक्टेयर कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि में अप्रार्थी न. 2 नंदसिंह पुत्र महताबसिंह अपने नाम से दर्ज 5/8 हिस्सा भूमि में से 4/8 हिस्सा भूमि तथा अप्रार्थी न. 1 के नाम से दर्ज 1/8 हिस्सा, अप्रार्थी न. 3 के नाम से दर्ज 1/8 हिस्सा तथा अप्रार्थी न. 4 के नाम से दर्ज 1/8 हिस्सा भूमि को रहन, बैय आदि द्वारा हस्तान्तरण नहीं करे व रिकार्ड तथा मौका की यथास्थिति मूल वाद पत्र के निर्णय तक बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.02.2024 .को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)